

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग निर्माण।

प्रतिवेदन


उपरोक्त कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 700/11(2)/19-47 (एम.एल.ए.) /2017 दिनांक 18.02.2019 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र, बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर से छतीना तक मोटर मार्ग 4.00 कि.मी. लम्बाई हेतु रू0 40.00 लाख की (प्रथम चरण—यथा सर्वेक्षण, वनभूमि की स्वीकृति आदि कार्यों हेतु) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।


ग्राम पंचायत माल्ता का बसावट छतीना लगभग 10 कि०मी० में फैला दूरस्थ क्षेत्र होने से यातायात की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। वन क्षेत्र के मध्य में स्थित ग्राम पंचायत माल्ता के तोक छतीना की कुल (जनसंख्या 162) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। वन क्षेत्र के निकट का ग्राम होने एवं यातायात की सुविधा के अभाव में स्थानीय जनता अपने दैनिक उपयोग के लिए वनों पर आश्रित रहती है जिस कारण प्रतिवर्ष काफी संख्या में वृक्षों का पातन होता है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से स्थानीय जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र का शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय का मुख्य केन्द्र मुख्यालय बागेश्वर है। मोटर मार्ग निर्माण होने से बच्चों को विध्यालय आने जाने में सुविधा होगी जिससे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। मोटर मार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 9 मीटर चौड़ाई में ही भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावित किया गया है जिसमें अवशेष मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थलों को सम्मिलित करते हुए कुल 0.945 है० वन भूमि एवं विभिन्न प्रजाति वं व्यास के कुल 87 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यह क्षेत्र चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में चीड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं। मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त 5 वर्ष के अन्दर स्वतः ही उगने की वजह से काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति हो जायेगी। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन रोकने, आपदा के समय प्रभावितों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं। अतः उपरोक्त कारणों से इस मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि में प्रस्तावित किया गया है जो अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है।


संरेखण नं० 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण बागेश्वर से तल्ला फल्टनियों मोटर मार्ग के किमी० 01 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण लम्बाई में सिविल सोयम एवं नाप भूमि आती है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैंड कम आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं० 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है जिसमें अधिक वृक्ष प्रभावित होते हैं। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने, संरेखण में मकान आने से भूवैज्ञानिक द्वारा इसे निरस्त किया गया है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। अतः 4.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 0.945 है० वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 87 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।


सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
बागेश्वर


अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि.
बागेश्वर
अधिसासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
बागेश्वर


वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र